

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 421]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 11 सितम्बर 2014—भाद्र 20, शक 1936

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2014

क्र. एफ 5-20-2014-1-पचपन.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश मेडिकल तथा डेंटल स्नातक प्रवेश नियम, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

15 अ-प्रवेश का रद्द/निरस्तीकरण किया जाना:—

- (i) प्रवेश रद्द/निरस्तीकरण का आशय यह है कि कि कोई भी अभ्यर्थी प्रवेश लेने के पश्चात् शासकीय चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में किसी भी कारणवश स्वेच्छा से सीट रिक्त/परित्याग करता है एवं इस विभाग की आगामी काउंसलिंग में भाग नहीं लेता है इस पूरी प्रक्रिया को प्रवेश का रद्द/निरस्तीकरण माना जायेगा.

यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 6 सितम्बर 2014 से 17 सितम्बर 2014 तक तृतीय चरण की काउंसलिंग के दौरान यदि कोई छात्र प्रदेश के अंदर एक संस्था से दूसरी संस्था में प्रवेश लेता है तब इस प्रक्रिया को अपग्रेडेशन/पुनर्आवंटन कहा जायेगा एवं यह प्रक्रिया पूर्व की भांति जारी रहेगी.

- (ii) किसी भी शासकीय संस्था में प्रवेश निरस्तीकरण के प्रकरणों के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं :—

- (क) प्रवेश के पश्चात् प्रवेश निरस्त कराने हेतु अपना आवेदन-पत्र पूर्ण औचित्य के साथ संचालक, चिकित्सा शिक्षा एवं संबंधित संस्था के अधिष्ठाता/प्राचार्य को संबंधित छात्र द्वारा प्रस्तुत करना होगा. संबंधित छात्र को अपने

आवेदन-पत्र के साथ वही फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा, जो उसने प्रवेश के समय प्रस्तुत किये थे, अलाटमेन्ट लेटर की सत्यापित प्रति, प्रवेश हेतु आवेदक द्वारा जमा की गई फीस रसीद की स्वयं सत्यापित प्रति, संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी आवेदन-पत्र मान्य किया जायेगा. संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा आवेदन पत्र पर शीघ्र ही निर्णय लेकर संबंधित संस्था के अधिष्ठाता/प्राचार्य, संबंधित छात्र, एम.सी.आई./डी.सी.आई. तथा संबंधित विश्वविद्यालय को सूचित किया जावेगा. जहां सीट लिविंग बॉण्ड की शर्त लागू हो उन प्रकरणों में सीट लीविंग बॉण्ड की राशि जमा कराई जाना अनिवार्य होगा, तभी सीट रद्दकरण/निरस्तीकरण का आवेदन मान्य होगा. संचालक, चिकित्सा शिक्षा से प्रवेश निरस्तीकरण की सूचना प्राप्त होते ही संबंधित संस्था के अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा मूल अभिलेख संबंधित छात्र/छात्रा द्वारा अधिकृत अभिभावक को उसी दिन वापस किये जायेंगे. प्रवेश निरस्तीकरण की पच्ची संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा ऑन लाईन केवल एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से जनरेट की जावेगी. संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा जारी सीट रद्दकरण/निरस्तीकरण आदेश ही वैध माने जायेंगे.

रद्दकरण एवं निरस्तीकरण की स्लिप प्राप्त करने की प्रक्रिया.—एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल पर संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा जी-2 जी लॉग-इन (Log-in) करने पर संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल का होम पेज प्रदर्शित होगा. इसमें प्रवेश निरस्तीकरण का लिंक (Admission cancellation) दिखाई देगा. इस लिंक को क्लिक करने पर एक पृष्ठ प्रदर्शित होगा. उसमें आवेदक का AIPMT/AIPDT 2014 का रोल नंबर एवं काउंसलिंग के चरण की जानकारी भरकर सबमिट करने पर आवेदक का विवरण दिखाई देगा. इसमें नीचे की ओर दिखाई दे रहे cancellation ऑप्शन को टिक कर संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा सबमिट करने पर आवेदक का प्रवेश निरस्त हो जायेगा और प्रवेश निरस्तीकरण की पावती जनरेट होगी जिसे आवेदक द्वारा संचालक, चिकित्सा शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकेगा तथा आवेदक द्वारा भी रोल नंबर एवं पासवर्ड का उपयोग कर एमपी ऑनलाईन के पोर्टल से प्राप्त की जा सकेगी.

15-ब-संबंधित संस्था के अधिष्ठाता/प्राचार्य प्रवेशित छात्रों एवं प्रवेश निरस्त किये गये छात्रों की सूची संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश को निम्नानुसार भेजी जाना सुनिश्चित करेंगे:—

क-संस्था द्वारा दिनांक 5 सितम्बर 2014 सायंकाल 5.00 बजे तक किये गये प्रवेश निरस्त की जानकारी संबंधित संस्था के अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश को दिनांक 5 सितम्बर 2014 को सायंकाल 7.00 बजे तक अनिवार्यतः परिशिष्ट-15 में ई-मेल, और डाक/विशेष वाहक द्वारा उपलब्ध कराई जाये.

ख-दिनांक 6 सितम्बर 2014 एवं उसके पश्चात् किये गये प्रवेश निरस्त एवं समस्त प्रवेशित छात्रों की जानकारी संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश को संबंधित संस्था द्वारा प्रत्येक दिवस परिशिष्ट-15 में सायंकाल 7.00 बजे तक ई-मेल, और डाक/विशेष वाहक द्वारा उसी दिन अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जायेगी.

ग-प्रवेशित एवं प्रवेश निरस्त किये गये छात्रों की पूर्ण सूचियां कम से कम एक वर्ष तक अपने वेबसाइट पर संबंधित संस्थाएं निरन्तर प्रदर्शित रखेंगे तथा निम्न अधिकारियों को उनके वेबसाइट पर सूची/छात्रों के नाम प्रदर्शित रखने हेतु संलग्न परिशिष्ट-15 में ई-मेल एवं डाक/विशेष वाहक के माध्यम से उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा:—

- (i) संचालक चिकित्सा शिक्षा (ई-मेल आई. डी. dme12001@yahoo.com)
- (ii) एम. पी. आनलाईन (ई-मेल आई डी. ashish.singh@mponline.gov.in)

घ-संबंधित संस्था के अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद 7 दिवस के अंदर समस्त प्रवेशित एवं प्रवेश निरस्त छात्रों की सूची अनिवार्यतः संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, विश्वविद्यालय एम. पी. ऑनलाईन एवं एम.सी.आई./डी.सी.आई. को ई-मेल, और डाक/विशेष वाहक के माध्यम से परिशिष्ट-15 में उपलब्ध कराई जावे.

ङ-प्रवेशित एवं प्रवेश निरस्त किये गये छात्रों की सूची संबंधित संस्था द्वारा कम से कम एक वर्ष तक निरन्तर अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं करने पर तथा प्रवेशित एवं प्रवेश निरस्त किये गये छात्रों की सूची संचालक, चिकित्सा शिक्षा, एम.सी.आई./डी.सी.आई., विश्वविद्यालय, और एम. पी. ऑनलाईन को समय-समय पर उपलब्ध नहीं

कराये जाने पर तथा संस्था स्वयं अपने स्तर पर प्रवेश निरस्त किये जाने पर संबंधित संस्था के अधिष्ठाता/प्राचार्य के विरुद्ध यह मानकर कठोर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी कि उन्होंने जानबूझकर जानकारी को छिपाया है, ताकि रिक्त रही सीटों को अवैधानिक रूप से भरा जा सके.

प्रवेश निरस्तीकरण की प्रक्रिया संवेदनशील होकर महत्वपूर्ण है अतएव छात्रों को सलाह दी जाती है कि प्रवेश लेने के पूर्व भली-भाँति सोच-विचारकर प्रवेश लें जिससे कि आर्थिक हानि एवं आगामी तीन वर्ष के लिये प्रवेश से वंचित न होना पड़े.

(परिशिष्ट-15)

दिनांक से दिनांक तक
प्रवेशित/प्रवेश निरस्त/रिक्त सीटों की अद्यतन स्थिति की जानकारी का प्रपत्र
शैक्षणिक सत्र 2014-15

चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय का नाम

स. क्र.	छात्र का नाम	ए.आई.पी.एम.टी. मैरिट रोल नंबर	पी.एम.टी. स्टेट रैंक	मैरिट ऑल इण्डिया रैंक	पात्रता श्रेणी	आवंटित श्रेणी	आवंटित पाठ्यक्रम का नाम (एमबीबीएस/बीडीएस)	प्रवेश तिथि	प्रवेश निरस्त का दिनांक (यदि आवश्यक हो)	प्रवेश निरस्तीकरण का कारण	वर्तमान स्थिति रिक्त/भरी	संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा आवंटित सीट के आदेश का क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		

हस्ताक्षर एवं सील
अधिष्ठाता/प्राचार्य

No F-5-20-2014-1-LV.—The State Government hereby makes the following amendment in the “Madhya Pradesh Government Autonomous/Government Medical and Dental Under Graduate admission rules 2014”, namely:—

AMENDMENT

In above rules,—

15 a - Cancellation of admission:—

- (i) Cancellation of admission will mean, cancellation of admission of a candidate from the State Quota Seat due to any reason when the candidate vacates his seat willingly after having taken admission in any Government Medical/Dental College and such candidates will not participate in subsequent counseling.

It is clarified that if a candidate vacates a seat from one institution and takes admission in another institution within the State during the third round of counseling i.e. 06/09/2014 to 17/09/2014; this procedure would be termed as upgradation/reallotment, and this procedure will continue as was done earlier.

(ii) Following instructions are issued in respect of cancellation of admission in the Government Autonomous Medical/Dental Colleges :—

- (a) The admitted candidate who desires to vacate his/her seat will have to submit his application complete in all respect with valid reasons to the Director Medical Education and Dean/Principal of the concerned Institution. The candidate will have to submit along with his/her application, the same photograph which was affixed during admission, copy of the allotment letter and self attested copy of fee receipt. Applications complete as stated above will only be considered. Director Medical Education will having taken a decision, convey such decision to concerned Dean/Principal, concerned student, MCI/DCI and concerned University. In cases where condition of seat leaving bond is applicable, the seat leaving bond amount shall have to be deposited, and then only such an application for cancellation of admission will be considered. The Director Medical Education will inform the concerned Dean/Principal regarding such cancellation of admission and the letter will return the original documents to the concerned Student/Guardian authorized by the student. Admission cancellation slip will be generated by Director Medical Education online through MPOnline only. Cancellation of admission done by the Director Medical Education only will be considered valid.

Procedure for obtaining Admission Cancellation Slip .—Director Medical Education will log-in through G2G on MPOnline portal whereafter the home page of Director Medical Education will be displayed. The link regarding admission cancellation will be displayed in the home page. On clicking this link a page will be displayed. On entering the students Roll No. of AIPMT/AIPDT 2014 and round of counseling and on submitting; the details regarding the candidate will be displayed. On clicking the option for cancellation and submitting by the Director Medical Education, the admission will be cancelled and admission cancellation slip will be generated, which can be obtained by the candidate from the Director Medical Education. The admission cancellation slip can also be obtained by the candidate through MPOnline portal by using his own Roll No. and password.

15 (b) Dean/Principal of concerned institution shall ensure submission of list regarding admitted students and students whose admission have been cancelled as below:

- (i) Dean/Principal of concerned college shall submit list of admitted students and students whose admission have been cancelled by the institution till 05/09/2014 till 5:00 pm to the Director Medical Education in Annexure 15 through email and post/special messenger such that the information should necessarily reach Director Medical Education by 7:00 pm on 05/09/2014 itself.
- (ii) Concerned institutions shall ensure submission of list of admitted students and students whose admission have been cancelled to the Director Medical Education through email and post/special messenger each day by 7:00 pm from 06/09/2014 onwards in Annexure 15 compulsorily.
- (iii) Concerned institutions shall ensure display of complete list of admitted students and students whose admission have been cancelled for at least one complete year on institution website as per Annexure 15. The said list shall be sent through email and post/special messenger compulsorily to the following :—

(a) Director Medical Education (dme12001@yahoo.com)

(b) MPOnline (ashish.singh@mponline.gov.in)

- (iv) Dean/Principal of concerned institution shall ensure submission of complete list of admitted students and students whose admission have been cancelled to the Director Medical Education M.P., concerned University, MPOnline, MCI/DCI through email and post/special messenger within 7 days from the last date of admission as scheduled, in Annexure 15.
- (v) If the concerned institution fails to display complete list of admitted students and students whose admission have been cancelled for one year continuously or if the complete list of admitted students and students whose admission have been cancelled is not sent to the Director Medical Education M.P., concerned University, MPOnline, MCI/DCI through email and post/special messenger from time to time as stipulated or if the institution cancels the admission of students on their own, then strict legal action will be taken against the Dean/Principal of the said institutions presuming that they have intentionally and willfully concealed the information in order to fill the vacant seats illegally.

Due to the sensitivity and importance of the admission process, students are advised to exercise due diligence before taking admission in order to avoid financial loss, as error on the part of the student may entail debarring the student from admission for a period of next three years in any Medical/Dental College.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. कुमरे, उपसचिव.

ANNEXURE-15

From Date till Date

Proforma of

**Updated Position of Admitted Candidates/Cancellation of Admissions/ Vacant Seats
Academic Session 2014-15**

Name of College

Dated

S. No	Name of Candidate	AIPMT. Merit			Eligible Category	Allotted Category	Course Allotted MBBS/ BDS	Date of Admission	Date of Cancellation of admission (if applicable)	Reason for cancellation of admission	Present status (Seat filled/ vacant)	No. and Date of allotment letter issuing seat by the DME
		Roll No.	State Rank	All India Rank								
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Seal & Signature : Dean/Principal